प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

एकल पीठ

प्रथम अपील क्रमांक 167/2004

अपीलार्थी : संतोष कुमार त्रिपाठी पिता स्वर्गीय टी.पी. त्रिपाठी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी – क्वार्टर नंबर 13/सी, स्ट्रीट नंबर 11, सेक्टर–1, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ।

बनाम

उत्तरवादी: श्रीमती सरोज त्रिपाठी पत्नी संतोष कुमार त्रिपाठी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी – द्वारा– गया प्रसाद मिश्रा, ग्राम धेन्धर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (मध्य प्रदेश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के लिए नियत तिथि : 13/05/2005

सही/–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव

एकल पीठ

प्रथम अपील क्रमांक 167/2004

अपीलार्थी : संतोष कुमार त्रिपाठी पिता स्वर्गीय टी.पी. त्रिपाठी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी – क्वार्टर नंबर 13/सी, स्ट्रीट नंबर 11, सेक्टर–1, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ।

बनाम

उत्तरवादी: श्रीमती सरोज त्रिपाठी पत्नी संतोष कुमार त्रिपाठी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी – द्वारा– गया प्रसाद मिश्रा, ग्राम धेन्धर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (मध्य प्रदेश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:
अपीलार्थी की ओर से: श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी की ओर से: श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता ।

निर्णय
(दिनांक 13 मई, 2005 को पारित किया गया)

यह अपील पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद संख्या 2ए/2003 में पारित दिनांक 23/06/2004 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा तलाक का आवेदन निरस्त कर दिया गया था।

2. अपीलार्थी और उत्तरवादी हिंदू धर्म से संबंधित हैं और हिंदू रीति–रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा शासित हैं। मई 1978 में, अपीलार्थी और उत्तरवादी का विवाह, हिंदू रीति–रिवाजों, अनुष्ठानों और रीति–रिवाजों के अनुसार, ग्राम धेन्धर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म.प्र.) में संपन्न हुआ था । वर्तमान में, अपीलार्थी और उत्तरवादी एक–दूसरे से अलग रह रहे हैं ।

3. अपीलार्थी ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मंजूरी के लिए धारा 13 (1) (i)(क) और (i)(ख) के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया । वादी/अपीलार्थी द्वारा किए गए आरोप यह हैं कि उत्तरवादी पहली बार 1983 में अपीलार्थी के साथ रहने के

लिए अपने ससुराल भिलाई आई थी, वह वहाँ एक वर्ष रही और अपने माता–पिता के घर चली गई । फिर, 1987 में वह अपीलार्थी के साथ रहने के लिए अपने ससुराल वापस आई और लगभग एक साल रही और फिर से, अपने माता–पिता के घर चली गई । वह अंतिम बार फरवरी, 1994 में अपीलार्थी के साथ रहने के लिए अपने ससुराल वापस आई और लगभग 11 महीने रहने के बाद, दिसंबर, 1994 में वह फिर से अपने माता–पिता के घर चली गई और तब से वह अपने माता–पिता के घर में रह रही है और अपीलार्थी के ईमानदारी से किये गए लगातार प्रयासों के बावजूद वापस नहीं आ रही है । 1992 में अपीलार्थी को एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, लेकिन उत्तरवादी को सूचित किए जाने के बावजूद वह वापस नहीं आई । याचिका के लंबित रहने के दौरान, उसने पुलिस अधीक्षक, रीवा के समक्ष परिवाद दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी और उसकी माँ ने दहेज की मांग की थी और उसे क्रूरता का शिकार बनाया था । पुलिस ने उक्त परिवाद को झूठा पाया, इसलिए अपीलार्थी पर प्रकरण नहीं चलाया । उक्त परिवाद से अपीलार्थी को मानसिक पीड़ा हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया और कहा कि विवाह के बाद उसे अपीलार्थी द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था और अपीलार्थी स्वयं उसे अपने ससुराल से अक्सर बाहर निकाल देता था। अपीलार्थी को हुई विभिन्न चोटों के बारे में जानकारी उसे नहीं दी गई थी, लेकिन जब उसे अपने रिश्तेदार से इस बारे में पता चला, तो वह अपने ससुराल आई और अपने पति की सेवा की और तब से वह अपने ससुराल में रही। अपीलार्थी ने पुलिस के सामने क्षमा याचना की और क्रूरता का व्यवहार न करने, दहेज की मांग न करने का आश्वासन दिया और यह भी आश्वासन दिया कि वह उसे वापस ले जाएगा, लेकिन अपीलार्थी उत्तरवादी को अपने ससुराल वापस नहीं ले गया। उत्तरवादी हमेशा तैयार रही थी और यहां तक कि समझौते की कार्यवाही के दौरान भी, वह अपने पति/अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार थी।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने, साक्ष्य की उचित विवेचना के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि यह साबित नहीं हुआ कि उत्तरवादी ने अपीलार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और 1994 से उसे छोड़ दिया। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा अपीलार्थी द्वारा तलाक की मंजूरी के लिए प्रस्तुत याचिका को निरस्त कर दिया गया।

6. दोनों पक्षों को सुना गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. परित्याग के लिए निम्नलिखित दो तथ्यों को साबित करना आवश्यक है:

1. विपक्षी पक्ष द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के तथा बिना सहमति के या याचिकाकर्ता की इच्छा के विरुद्ध याचिकाकर्ता का परित्याग;

2. याचिकाकर्ता की साशय उपेक्षा द्वारा परित्याग स्थापित किया जाना चाहिए या यह कहना कि परित्याग से छोड़ने वाले पक्ष का वैवाहिक संबंध समाप्त करने का आशय है ।

8. संतोष कुमार त्रिपाठी (आ. सा./1) ने अपने कथन में कहा है कि दिसंबर, 1994 में उत्तरवादी उनकी अनुपस्थिति में और उन्हें सूचित किए बिना अपने माता–पिता के घर चली गई थी । इसके खंडन में, उत्तरवादी श्रीमती सरोज त्रिपाठी (अना. सा./1) ने कहा है कि अपीलार्थी स्वयं सितंबर/अक्टूबर, 1994 में उसे अपने माता–पिता के घर ले गया और वहीं छोड़ दिया और तब से वह अपने माता–पिता के घर में रह रही है । प्रतिपरीक्षण में भी वह यही बात कहने पर अड़ी रहीं । यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तरवादी ग्राम धेन्धर, जिला रीवा की निवासी है और उसका ससुराल भिलाई नगर, जिला दुर्ग में है । एक गाँव की महिला बिना किसी सहायता के इतनी लंबी दूरी अकेले तय करके अपने माता–पिता के घर गई, यह केवल पर्याप्त साक्ष्य से ही स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि किस माध्यम से और कैसे उत्तरवादी अकेले इतनी लंबी दूरी तय करने में सक्षम थी । इसलिए, ऐसे साक्ष्यों की कमी के कारण, उत्तरवादी श्रीमती सरोज त्रिपाठी (अना. सा./1) का साक्ष्य स्वीकार्य है जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी स्वयं उसे सितंबर/अक्टूबर, 1994 में अपने माता–पिता के घर ले गया और वहीं छोड़ दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. संतोष त्रिपाठी (आ. सा./1) ने यद्यपि यह कहा कि उन्होंने उत्तरवादी को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह वापस नहीं आई । वह उन प्रयासों का विवरण बताने में विफल रहे, जबकि, खंडन में श्रीमती सरोज त्रिपाठी (अना. सा./1) ने कहा है कि अपीलार्थी ने उसे 1994 में छोड़ने के बाद उसे कभी वापस लेने नहीं आया । उसने यह भी कहा है कि अप्रैल, 1995 में वह स्वयं अपने भाई के साथ आई और अपीलार्थी के साथ रहने का प्रयास किया, लेकिन अपीलार्थी ने उससे बात भी नहीं की और जब उसने बात करने की कोशिश की, तो उसने उसे धक्का दिया और भगा दिया । फिर वह अपने भाई के साथ अपने ससुराल आई, लेकिन उस समय भी अपीलार्थी ने उसके भाई से कहा कि उसने शादी नहीं की थी, बल्कि उसके पिता ने की थी, इसलिए उसे उनसे संपर्क करना चाहिए ।

10. उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपनी पति/उत्तरवादी को रखने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उत्तरवादी ने स्वयं अपने पति/उत्तरवादी के साथ रहने का प्रयास किया । यह स्वीकार किया जाता है कि सुलह की कार्यवाही में उत्तरवादी अपने पति/अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार थी । उत्तरवादी ने अपने लिखित कथन में भी विशेष रूप से अपने पति के साथ रहने की पेशकश की थी, जबकि अपीलार्थी संतोष कुमार त्रिपाठी (आ. सा./1) ने अपने कथन में कहा कि वह उत्तरवादी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है ।

11. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी सितंबर/अक्टूबर, 1994 से अपीलार्थी की इच्छा पर अपने माता–पिता के घर में रह रही है और उसने विवाह को समाप्त करने के इरादे से अपने पति/अपीलार्थी को नहीं छोड़ा है, जबकि उसे उसके पति/अपीलार्थी द्वारा बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया गया है । इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि उत्तरवादी द्वारा परित्याग साबित नहीं हुआ है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (बी) निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई है:

> "23. कार्यवाहियों में डिक्री–
>
> (1) यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, न्यायालय का समाधान हो जाए कि–
>
> (ख)– जहां कि अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट आधार हो वहां न तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसने उनका मौनानुमोदन या उपमर्षण किया है अथवा जहां कि अर्जी का आधार क्रूरता हो वहां अर्जीदार ने उस क्रूरता का किसी प्रकार उपमर्षण नहीं किया है।

13. उक्त प्रावधान के मात्र पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यदि क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री मांगी गई है, तो याचिकाकर्ता ने क्रूरता को उपमर्षण नहीं किया होना चाहिए । उस स्थिति में ही तलाक के लिए क्रूरता का आधार याचिकाकर्ता को उपलब्ध है ।

14. वर्तमान प्रकरण में, स्वयं वाद पत्र के अनुसार, अपीलार्थी को सितंबर, 1992 में एक दुर्घटना में चोटें आईं । फरवरी, 1994 में उत्तरवादी आई और लगभग 11 महीने तक अपनी पति के रूप में उसके साथ रही । स्पष्ट रूप से, यदि कोई क्रूरता उत्तरवादी द्वारा अपने पति को देखने के लिए समय पर न आने से हुई थी, जिसे दुर्घटना में चोट लगी थी,

तो उक्त क्रूरता को अपीलार्थी द्वारा उपमर्षण कर दिया गया है । इसलिए, उक्त आधार उसे उपलब्ध नहीं था । इसके अलावा, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जब अपीलार्थी की दुर्घटना हुई थी तो इसकी सूचना उत्तरवादी को दी गई थी, इसलिए उत्तरवादी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह बिना किसी सूचना के अपने पति की सेवा के लिए आती ।

15. यह साबित करने के लिए कि उत्तरवादी ने दहेज की मांग पर अपीलार्थी द्वारा उत्पीड़न के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाए हैं, उक्त परिवाद को साबित करना या अन्य विशिष्ट साक्ष्य द्वारा उक्त आरोप को साबित करना आवश्यक था । लेकिन, उक्त परिवाद को प्रस्तुत और साबित नहीं किया गया है । अपीलार्थी की पति श्रीमती सरोज त्रिपाठी ने पुलिस के सामने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं, वास्तव में इसे स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपीलार्थी को जारी किया गया नोटिस (प्रदर्श पी/1) परिवाद और उत्तरवादी द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसलिए, अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि विवाह के बाद उत्तरवादी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया । विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के बाद यह मानते हुए कि अपीलार्थी के विरुद्ध क्रूरता साबित नहीं हुई है, कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की है ।

17. अपीलार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवीण मेहता बनाम इंदरजीत मेहता [एआईआर 2002 एससी 2582] और अध्यातमा भट्टर अलवर बनाम अध्यातमा भट्टर श्री देवी [एआईआर 2002, एससी 88] में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है। लेकिन दोनों प्रकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं ।

18. परिणामस्वरूप, अपील निरस्त करने योग्य है और तदनुसार निरस्त की जाती है ।

सही/–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ..... Smt. Vijaylaxmi Pradhan, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur